357

श्रीमान सदस्य महोदय,राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. सर्किट कोर्ट रीवा

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 2616-II/14

मुन्नी देवी पत्नी श्री कमलाकांत ब्राम्हण निवासी ग्राम मझियार पो.आ.शुकवाह थाना धारकुन्डी तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

.........**आवेदिका**

बनाम

1– श्रीमती सरोज पति श्री धीरज त्रिपाठी ग्राम मझियार पो.आ.शुकवाह थाना धारकुन्डी तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

2– शासन म.प्र.

......**अनावेदक गण**

श्री के.के. द्विवेदी अधि. द्वारा आज दि. 19.8.14 को प्रस्तुत

19.8.14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4.25 P.M

निगरानी विरुद्ध आदेश सीमांकन प्रकरण कमांक 5 अ 12/2013–14 आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. के द्वारा अनुमोदित आदेश दिनांक 10/7/14 बावत भूमि स्थिति ग्राम उमरहन की आराजी नंबर 91/2, 92/2 तथा समीपी संलग्न की भूमि नंबर 84/1, 84/2 एवं भूमि नंबर 85 है जिसका प्रकरण तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. मे पंजीबद्ध है।
निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) भू.रा.सं.1959

....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नप्रकार है।

1– यह कि अधीनस्थ सेवक राजस्व निरीक्षक सर्किल व तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. द्वारा वादग्रस्त भूमियों का किया गया सीमांकन व उक्त सीमांकन का अनुमोदित आदेश दिनांक 10/7/14 पूर्णतः खिलाफ कानून एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

19.8.14 K.K. Dwivedi

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2610–दो / 2014 जिला–सतना

मुन्नीदेवी विरूद्ध श्रीमती सरोज त्रिपाठी व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल बिरसिंहपुर, जिला–सतना के प्र. क्र. 05 / अ–12 / 2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	